न्यायमूर्ति एस एस सुधालकर और मेहताब एस गिल के समक्ष,

गणेश दत्त और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 1999 का क्रमांक 16164

10 अक्टूबर, 2000

भारत का संविधान, 1950-धारा. 12 और 226—मोटर वाहनों की बिक्री और निर्माण में काम करने वाली कंपनी—हालांकि सरकार 50% शेयर रखने के बावजूद कंपनी के मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं - कंपनी किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है - कंपनी का उद्देश्य, लाभ - क्या कंपनी अनुच्छेद 12 उद्देश्य के लिए 'राज्य' या 'प्राधिकरण' की परिभाषा में आती है का - धारित, नहीं - रिट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि, मारुति उद्योग लिमिटेड में मेसर्स सुजुकी मोटर्स लिमिटेड और केंद्र सरकार के 50-50 प्रतिशत शेयर हैं। कंपनी को किसी भी तरह से सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि यह मुनाफा कमाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए कारों और हल्के मोटर वाहनों की बिक्री कर रही है। इस प्रकार, कंपनी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य या किसी प्राधिकरण की इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं है।

(अनुच्छेद 11 और 12)

आर.एस.मित्तल वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुधीर मित्तल के साथ, याचिकाकर्ताओं के वकील

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए रघबीर चौधरी, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा

एम.एल. सरीन, वरिष्ठ वकील, सिद्धार्थ सरूप के साथ, प्रतिवादी नंबर 4 के वकील

फैसला

न्यायमूर्ति महताब एस. गिल

(1) इस सामान्य आदेश के द्वारा, हम 1999 की 16164, 17697, 18102, 2000 की 117, 542, 565, 4548, 6830, 8980 और 9023 वाली सिविल रिट याचिका का निपटान कर रहे हैं क्योंकि इनमे कानून और तथ्य के समान प्रश्न उठे हैं। ये रिट याचिकाएँ समान प्रकृति की हैं।

(2) याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने और प्रतिवादी संख्या 4, यानी, मारुति उद्योग लिमिटेड को उसके महाप्रबंधक, पालम गुड़गांव रोड, गुड़गांव (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) के द्वारा को किसी भी अन्य कामगार को रोजगार की पेशकश किए बिना, रोजगार देने से रोकने की प्रार्थना की है। क्योंकि वे पहले से ही एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी की निरंतर सेवा में हैं और 240 दिन भी पूरे कर चुके हैं।

(3) याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 1995-96 के दौरान गुड़गांव में कंपनी के कार्यों में अपनी प्रशिक्षुता पूरी कर ली है, याचिकाकर्ता संख्या 6, 7, 9 और 12 को छोड़कर, जिन्होंने वर्ष 1996-97 के दौरान ऐसी प्रशिक्षुता पूरी की थी और याचिकाकर्ता संख्या 14 और 20. जिन्होंने वर्ष 1994-95 के दौरान प्रशिक्षुता पूरी की। सभी याचिकाकर्ताओं ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 25-बी के तहत परिभाषित एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए कंपनी के साथ कामगार के रूप में काम किया है। याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 25-एफ, 25-एच, 25: 1 और 25-यू के तहत सुरक्षा के हकदार हैं। वर्ष 1998 से, कंपनी में प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की भर्ती करना और किसी भी नए प्रशिक्षु को लेने से पहले उन सभी को नियमित नियुक्तियाँ देना एक सतत अभ्यास रहा है। आगे कहा गया है कि वर्ष 1988 के दौरान प्रशिक्षुओं की भर्ती की गई और उन सभी को कंपनी द्वारा नियमित नियुक्तियाँ दी गईं। यह प्रथा 1990 तक जारी रही। 1991 से 1994 तक, इस प्रथा को इस हद तक संशोधित किया गया कि प्रशिक्षुता अवधि पूरी होने के बाद, प्रशिक्षुओं को एक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कहा गया और परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नियमित नियुक्तियाँ दी गईं जिन्हें एलडब्ल्यूओ के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1995 के दौरान, वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित लगभग 700 प्रशिक्षुओं के एक बैच को नौ महीने के लिए संविदा नियुक्ति दी गई थी जिसे एलडब्ल्यूसी के नाम से जाना जाता है। सभी याचिकाकर्ताओं ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से

अधिक समय तक अनुबंध के आधार पर काम किया और अधिनियम की धारा 25-बी के प्रावधानों के मद्देनजर कंपनी के निरंतर कर्मचारी बन गए।

(4) सभी याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ समान स्थिति वाले लगभग 700 अन्य लोगों को एलडब्ल्यूओ के रूप में कंपनी के नियमित कर्मचारियों के रूप में भर्ती के लिए परीक्षा के लिए बुलाया गया था। सभी याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए कॉल लेटर (याचिकाकर्ता संख्या 20 मुकेश कुमार को जारी) की एक प्रति याचिका के साथ अनुबंध पी-3 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता अशोक कुमार को जारी किया गया एक अन्य कॉल लेटर याचिका के साथ अनुबंध पी-4 के रूप में संलग्न है। 15 जनवरी, 1998 को 605 सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित की गई। उनमें से 04 को नियमित आधार पर नियुक्तियाँ दी गईं और 18 अन्य को अक्टूबर, 1999 में नियमित नियुक्तियाँ दी गईं। याचिकाकर्ताओं को पिछले सभी बैचों के बावजूद नियमित नियुक्तियाँ नहीं दी गईं। प्रशिक्षुओं को कंपनी के रोजगार में नियमित आधार पर शामिल किया गया है।

(5) आगे कहा गया है कि कंपनी राज्य (केंद्र सरकार) की एक इंस्ट्रूमेंटलीटी है क्योंकि केंद्र सरकार का कंपनी के प्रबंधन और नीतियों पर नियंत्रण है। कंपनी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और निदेशक मंडल की नीतियां केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन होती हैं।

(6) कंपनी को बहुत रियायती कीमत पर जिला गुड़गांव में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दिया गया था। चूंकि कंपनी मुनाफे में नहीं चल सकी, इसलिए इसके खिलाफ परिसमापन की कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद, भारत सरकार ने इसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में अपने अधिकार में ले लिया और यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया। कंपनी पर कब्ज़ा करने के बाद, केंद्र सरकार ने इस पर बहुत गहरा और व्यापक नियंत्रण बनाए रखा। केंद्र सरकार के पास इक्विटी में 50 प्रतिशत शेयर हैं और शेष 50 प्रतिशत शेयर आज की तारीख में मेसर्स सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के पास हैं।

(7) उत्तरदाताओं को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था। उत्तरदाताओं ने उपस्थित होकर अपना उत्तर दाखिल किया।

(8) उत्तरदाताओं का मामला मुख्य रूप से कंपनी द्वारा लड़ा गया है

(9) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिट याचिका, लिखित बयानों और उनके साथ संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया है।

(10) सबसे पहले कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एल.सरीन ने हमारा ध्यान लिखित बयान में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति की ओर आकर्षित किया है, जिस पर उनके अनुसार पहले निर्णय लिया जाना है। इस संदर्भ में, उन्होंने एक तर्क उठाया है कि इस मामले में जांच किए जाने वाले कानूनी बिंदु का सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी नंबर 4-कंपनी संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य या प्राधिकरण की परिभाषा में आती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आर.एस.मित्तल ने जोरदार तर्क दिया कि कंपनी के मामले केंद्र सरकार, यानी उद्योग मंत्रालय द्वारा शासित होते हैं, जिनके निदेशक मंडल में प्रतिनिधि होते हैं। प्रबंध निदेशक को भी केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। यह स्वयं स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कंपनी राज्य की इंस्ट्रूमेंटलीटी है और इसे आवंटित भूमि राज्य द्वारा बहुत रियायती दर पर थी। यदि यह एक निजी कंपनी होती, तो राज्य को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने **अजय हसिया आदि बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य**[1] और **मिस रवनीत कौर बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना**[2] में उद्धृत फैसलों पर भरोसा किया है।

(11) याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उद्धृत फैसले, यानी, अजय हसिया का मामला (सुप्रा) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है क्योंकि मौजूदा मामले में, मेसर्स सुजुकी मोटर्स लिमिटेड और केंद्र सरकार प्रत्येक के 50 प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी है, जबकि अजय हसिया के मामले (सुप्रा) में, यह निगम या सोसायटी या सरकार की एजेंसियों से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वे राज्य की इंस्ट्रूमेंटलीटी हैं। वर्तमान मामले में कंपनी सरकार की एक संस्था या एजेंसी होने के दायरे में नहीं आ सकती है, ताकि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित प्राधिकार की अभिव्यक्ति के भीतर आ सके।

[1] एआईआर 1981 एससी 487

[2] 1997 (2) पीएलआर 320

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत एक अन्य फैसला, यानी, मिस रवनीत का मामला (सुप्रा) भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि उस मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना है कि "उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को आदेश या निर्देश देते हुए रिट जारी कर सकता है। लेकिन मौजूदा मामले में, कंपनी को किसी भी तरह से सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि वह मुनाफा कमाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए कारों और हल्के मोटर वाहनों की बिक्री कर रही है।

(13) कंपनी की ओर से दायर लिखित बयान में, उसकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 3102 शीर्षक पी.बी. घयालोद बनाम मारुति उद्योग लिमिटेड और अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है।, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "उपर्युक्त परिस्थितियों में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में सरकार की इंस्ट्रूमेंटलीटी नहीं है। हम केरल उच्च न्यायालय की के.एम. थॉमस, याचिकाकर्ता बनाम कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य, उत्तरदाता, एआईआर 1982 केआर 248 में रिपोर्ट की गई टिप्पणियों से अपने उपरोक्त दृष्टिकोण में पूरी तरह से दृढ़ हैं हम यहाँ उक्त निर्णय की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करने के लिए प्रलोभित हैं। यह देखा गया, "सरकार के पास केवल बहुमत है, न कि कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी, यानी कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड। उसकी शेयर पूंजी का एक बड़ा हिस्सा एक विदेशी कंपनी का है। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सरकार द्वारा विशेष या असामान्य वित्तीय सहायता दी गई है। निदेशक मंडल का कंपनी के मामलों के प्रबंधन पर व्यावहारिक रूप से पूर्ण नियंत्रण होता है। यह तथ्य कि नौ में से पांच निदेशक सरकार द्वारा नामित हैं, यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रबंधन आदि पर सरकार का विशेष या असामान्य नियंत्रण है। यह निष्कर्ष केंद्र सरकार की कुछ आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए भी वैध है। उस मामले के लिए विदेशी कंपनी के पास निर्दिष्ट सीमा से अधिक पूंजीगत व्यय के संबंध में वीटो की शक्ति है। बोर्ड में किसी विदेशी कंपनी के नामांकित व्यक्तियों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण है। बेशक कंपनी एकाधिकार स्थिति का

आनंद ले सकती है "चूंकि यह पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी बहुमूल्य वस्तुओं से निपटती है और इस तरह की गतिविधि सार्वजनिक महत्व की है, राष्ट्र के जीवन में इन वस्तुओं के महत्व के प्रकाश में देखी जाती है। ऊपर उल्लिखित परिस्थितियाँ यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि "आवाज़ सरकार की है या हाथ सरकार के हैं" या वह कंपनी "राज्य का एजेंट या सरोगेट है, वास्तव में राज्य के स्वामित्व में है, वास्तव में राज्य द्वारा नियंत्रित है और वास्तव में राज्य का एक अवतार।"

"उक्त मामले के तथ्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उस मामले में कोचीन रिफाइनरीज़ को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त था क्योंकि यह पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी कीमती वस्तुओं से निपट रहा था। उपरोक्त से यह और भी स्पष्ट है कि उक्त कंपनी की गतिविधियाँ- राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। हालाँकि, तब भी केरल उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए माना कि उक्त कंपनी राज्य की एजेंसी नहीं थी। वर्तमान मामले में हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त नहीं है; कंपनी की गतिविधियां, यानी मोटर-वाहनों की बिक्री और निर्माण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कई अन्य कंपनियां भी हैं जो मोटर वाहनों की बिक्री और निर्माण में भी काम करती हैं। नतीजतन, प्रतिवादी नंबर 1 को किसी भी तरह से राज्य की इंस्ट्रूमेंटलीटी नहीं कहा जा सकता है।''

(14) दिल्ली उच्च न्यायालय के सितंबर, 1991 के आदेश के विरुद्ध शीर्ष न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने, 6 दिसंबर, 1991 के आदेश के तहत इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और विशेष अनुमति याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। शीर्ष न्यायालय के आदेश की एक प्रति अनुलग्नक आर-1 के रूप में लिखित विवरण के साथ संलग्न है।

(15) 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या ए7384 में भी इसी तरह का मुद्दा उठाया गया था और इस न्यायालय की एकल पीठ ने, 16 नवंबर, 1999 के आदेश के तहत मुद्दे का फैसला किया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसका एक प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"मामले पर विचार करने पर, यह पाया गया कि क्या कंपनी राज्य की एक इंस्ट्रूमेंटलीटी है, इस सवाल की जांच एक बार पी.बी. घयालोद बनाम मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड और अन्य में सिविल रिट याचिका संख्या

3102/1990 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। और आदेश दिनांक 11 सितंबर, 1991 द्वारा, विस्तृत विचार के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कंपनी राज्य की इंस्ट्रूमेंटलीटी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई एस.एल.पी. को खारिज कर दिया है।। मेरा विचार है कि कंपनी को राज्य का साधन नहीं कहा जा सकता। इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि कंपनी की 50% शेयर पूंजी मेसर्स सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के पास है। केंद्र सरकार का कंपनी के मामलों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं है जो इसे सरकार की एक इंस्ट्रूमेंटलीटी बना सके।

(16) चूंकि कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उठाए गए केवल कानून बिंदु और प्रारंभिक आपत्तियों पर निर्णय लिया जा रहा है, इसलिए हम मामले की योग्यता में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं।

(17) उपरोक्त टिप्पणियों और चर्चाओं के साथ, हमारा विचार है कि कंपनी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए राज्य या किसी प्राधिकरण का साधन नहीं है। तदनुसार, प्रश्न का उत्तर कंपनी के पक्ष में दिया गया है।

(18) चूंकि कानून बिंदु का प्रश्न और प्रारंभिक आपत्तियों का निर्णय कंपनी के पक्ष में किया गया है, हमारा विचार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।

(19) ऊपर की गई टिप्पणियों और चर्चाओं के साथ, ये सभी याचिकाएँ केवल इसी आधार पर खारिज की जाती हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा

8, I.L.R. Punjab and Haryana 2001(2)